रेवेन्यु निगरानी क्रं.   / 2016
प्रस्तुति दिनांक :– 12 / 1 / 2016

निग – 351 – PBR-16

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

1/ श्रीमति नफीसा पति श्री सलीम
2/ श्रीमति नसीम पति श्री जाकीर
तर्फे इमरान पिता जाकीर
3/ श्रीमति हीना पिता श्री अमीर
तीनो निवासी खजराना इन्दौर ———— प्रार्थीगण

31/12.01.2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 12-1-2016
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

1/ श्रीमति काली बी पति श्री तस्लीम
निवासी जुलवानिया तेह. राजपुर
जिला बडवानी म.प्र.

2/ म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बडवानी ———— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

Noted
20/1/16

माननीय महोदय,
प्रार्थीगण तर्फे सादर निवेदन है कि :–

1/ यहकि, प्रार्थीगण के पूर्वज राबिया, आमना, हलिमन बेवा अब्दुल हकीम थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थीगण भी उनके वारिसान है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामंतरण प्रकरण क्रं. 114अ / 6 / 2004–05 आदेश दिनांक 28 / 6 / 05 के द्वारा प्रार्थीगण का नाम ग्राम जुलवानिया स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 121, 122 / 2 एवं 123 पर दर्ज किया गया तथा उक्त नामंतरण हो जाने के 9 साल बाद प्रतिप्रार्थी क्रं. 1 द्वारा एक आवेदनपत्र पुनः नामंतरण बाबद प्रस्तुत किया और अपने आपको श्रीमति राबिया बी की पुत्री होना बताया, उक्त आवेदन के आधार पर प्रकरण क्रं. 24अ / 6 / 2013–14 दर्ज किया होकर उक्त प्रकरण दिनांक 31 / 5 / 2014 को निरस्त किया गया उक्त आवेदनपत्र निरस्त होने के पश्चात् प्रतिप्रार्थी क्रं. 1 द्वारा अपील क्रं. अ / 6 / अपील / 2014–15 की श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय, राजपुर के समक्ष प्रस्तुत की एवं उक्त अपील मे दिनांक 17 / 12 / 2015 को अंतिम तर्क हेतू पेशी नियत थी तथा उक्त दिनांक को पुनः आगामी पेशी दिनांक 26 / 12 / 2015 नियत की गई ।

2/ यहकि, दिनांक 26 / 12 / 2015 को जब प्रार्थीगण के अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होने प्रकरण की फाईल मे पटवारी रिपोर्ट लगी हुई देखी जो दिनांक 22 / 12 / 2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 35 | –पीबीआर / 2016 **जिला बडवानी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–01–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, राजपुर जिला बडवानी के आदेशिका दिनांक 17–12–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेशिका से प्रकरण अंतिम तर्क हेतु एवं पटवारी रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु नियत किया जाकर दिनांक 26–12–15 की पेशी नियत की गई है और दिनांक 26–12–15 को प्रकरण में अंतिम तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ रखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उक्त कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	